

File No.1/6(1)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 95/09/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 186(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance for the employees employed in **Agriculture** w.e.f. 01.10.2025 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2025:-

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	181	167	165
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	198	181	168
Skilled/Clerical	215	198	181
Highly Skilled	237	221	198

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2025 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	333+181=514	303+167=470	300+165=465
Semi- Skilled/Unskilled Supervisory	364+198=562	335+181=516	307+168=475
Skilled/Clerical	395+215=610	364+198=562	334+181=515
Highly Skilled	438+237=675	407+221=628	364+198=562

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

(Ashutosh A.T Pednekar)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/6(2)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 29/09/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2413(E) dated **28th July, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2025:-

Rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in employments in **Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines.**

Category of worker	Rates of V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	191	237
Semi-Skilled/Unskilled	237	282
Supervisory		
Skilled/ Clerical	282	328
Highly Skilled	328	366

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance Payable w.e.f. 01.10.2025 will be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	350+191=541	437+237=674
Semi-Skilled/ Unskilled	437+237=674	523+282=805
Supervisory		
Skilled/ Clerical	523+282=805	610+328=938
Highly Skilled	610+328=938	683+366=1049

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

(Ashutosh A.T Pednekar)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/6(3)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 25/09/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 188(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2025:-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR RUNWAYS OR IN BUILDING OPERATIONS INCLUDING LAYING DOWN UNDERGROUND ELECTRIC, WIRELESS, RADIO, TELEVISION, TELEPHONE, TELEGRAPH AND OVERSEAS COMMUNICATION CABLES AND SIMILAR OTHER UNDERGROUND CABLING WORK, ELECTRIC LINES, WATER SUPPLY LINES AND SEWERAGE PIPE LINES.**

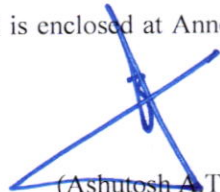
Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	282	237	191
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	314	266	222
Skilled/Clerical	344	314	266
Highly Skilled	372	344	314

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2025 will be as under :-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. per day (in Rupees)		
	A Area	B Area	C Area
Unskilled	523+282=805	437+237=674	350+191=541
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	579+314=893	494+266=760	410+222=632
Skilled/ Clerical	637+344=981	579+314=893	494+266=760
Highly Skilled	693+372=1065	637+344=981	579+314=893

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Ashutosh A. T. Pednekar)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/6(4)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 25/09/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 192(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2025;-

Rates of VDA for employees employed in loading and unloading in **(i) Goods sheds, Parcel Offices of Railways, (ii) Other Goods-Sheds, Go-downs, Warehouses and other similar employments ; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers and Goods and Cargo Carried out at Airports (both international and domestic).**

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2025 to the employees shall be as under:-

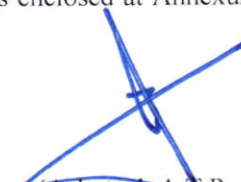
AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (IN RS.)
'A'	282
'B'	237
'C'	191

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2025 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D. A. PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
'A'	523	+	282	= 805
'B'	437	+	237	= 674
'C'	350	+	191	= 541

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Ashutosh A. S. Pednekar)
Chief Labour Commissioner(C)

File. No.1/6(5)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 25/09/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 190(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2025:-

RATES OF V.D.A.FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN "Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993".

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	282
B	237
C	191

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2025 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)		Total (Rs.)
A	523	+	282	=	805
B	437	+	237	=	674
C	350	+	191	=	541

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Ashutosh A.T. Pednekar)
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/(6)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 25/09/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 191(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2025:-

I. RATES OF VDA. for employees employed in **WATCH & WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	344
B	314
C	266

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2025 to employees employed in **WATCH AND WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
A	637	+	344	= 981
B	579	+	314	= 893
C	494	+	266	= 760

II. RATES OF VDA for employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

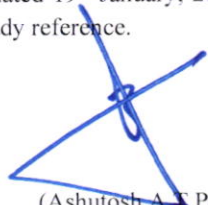
AREA	RATES OF VDA PER DAY (in Rs.)
A	372
B	344
C	314

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2025 to employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS VDA PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		VDA. (Rs.)	Total (Rs.)
A	693	+	372	= 1065
B	637	+	344	= 981
C	579	+	314	= 893

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(Ashutosh A. Pednekar)
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/6(7)2025 LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 25/09/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 189(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2025:-

Rates of VDA for employees employed in “**STONE MINES**” shall be as under:-

Item of work	Rates of Variable Dearness Allowance as on 01.10.2025
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	
(i) Soft Soil	Rs.194
(ii) Soft Soil with rock	Rs.287
(ii) Rock	Rs.380
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 metres lead/ 1.5 Metres lift. *	Rs.155
3. Stone breaking or Stone Crushing for the Stone size of:-	
1.0 inch to 1.5 inches	Rs.1152
Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.985
Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.581
Above 5.0 inches	Rs.479

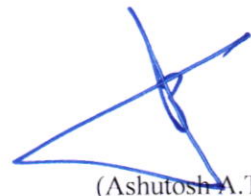
Therefore, the minimum piece rate wages showing the basic and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2025 to the employees employed in Stone Mines shall be as under:-

Category	Basic Wages	VDA	Total
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters Lead/1.5 Meters lift. *			
(i) Soft Soil	Rs.351	+ Rs.194	= Rs. 545
(ii) Soft Soil with rock	Rs.531	+ Rs.287	= Rs. 818
(iii) Rock	Rs.703	+ Rs.380	= Rs.1083
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	Rs. 283	+ Rs.155	= Rs.438
3. Stone Breaking or Stone Crushing for stone size of category **			
	Basic Wages	VDA	Total
(i) 1.0 inch to 1.5 inches	Rs.2171	+ Rs.1152	= Rs.3323
(ii) Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.1857	+ Rs.985	= Rs.2842
(iii) Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.1088	+ Rs.581	= Rs.1669
(iv) Above 5.0 inches	Rs.893	+ Rs.479	= Rs.1372

The workers employed on minimum guaranteed time rate of wages per day shall be entitled to time rate of minimum wages plus special allowance, if any, for unskilled category of above ground workers revised from time to time by the Central Government in respect of scheduled employment in stone mines.

* Per 2.831 cube meters (100 cubic feet)

** Per truck load of 5.662 cubic meters (200 cubic feet)


(Ashutosh A.T Pednekar)
Chief Labour Commissioner(C)

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रम आयुक्त (कै.) का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 25.09.2025

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 186(ई) के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2024 (आधार वर्ष 2016=100) को 402.09 से 413.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.33 अंकों की बढ़त होने के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एतद्वारा दिनांक 01.10.2025 से कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया गया है। दिनांक 01.10.2025 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	दैनिक क्षेत्रवार वी. डी. ए. की दरें (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	181	167	165
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक	198	181	168
कुशल/ लिपिकीय	215	198	181
अति कुशल	237	221	198

अतः, कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.10.2025 से देय मूल दर सहित भत्ते की न्यूनतम दर और परिवर्ती महंगाई भत्ता इस प्रकार होंगे:-

कामगारों की श्रेणी	वी .डी.ए.सहित मजदूरी की दरें क्षेत्रवार प्रतिदिन (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	333+ 181=514	303+ 167=470	300+ 165=465
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी/	364+ 198=562	335+ 181=516	307+ 168=475
कुशल/लिपिकीय/	395+ 215=610	364+ 198=562	334+ 181=515
अत्यधिक कुशल	438+237=675	407+221=628	364+ 198=562

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मचारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र ए, बी तथा सी सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
मुख्य श्रमायुक्त (कै.)

फाइल संख्या 1/6(2)/2025 – एलएस-II

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 95.09.2025

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2413 (ई) के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2024 (आधार वर्ष 2016=100) को 402.09 से 413.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.33 अंकों की बढ़त होने के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया गया है। दिनांक 01.10.2025 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

जिप्सम खान, बैराइट खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, क्ले खान, मैग्नेसाइट खान, सफेद मिट्टी खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन और टैल्क का उत्पादन करने वाली खानों सहित), गेरू खान, एस्बेस्टस खान, आग मिट्टी की खान, क्रोमाइट खान, क्वार्टजाइट खान, क्वार्ट्ज खान, सिलिका खान, ग्रेफाइट खान, फेलस्पार खान, लैटेराइट खान, डोलोमाइट खान, रेड ऑक्साइड खान, वोल्फराम खान, लौह अयस्क खान, ग्रेनाइट खान, रॉक फॉस्फेट खान, हेमेटाइट खान, संगमरमर और कैल्साइट खान, यूरेनियम खान, अभ्रक खान, लिग्नाइट खान, बजरी ब्लूज, स्लेट खान और मैग्नेटाइट खान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें।

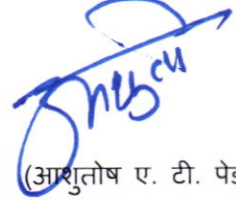
कर्मचारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रति दिन परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें (रुपयों में)	
	भूमि से ऊपर कार्य के लिए	भूमि से नीचे कार्य के लिए
अकुशल	191	237
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक	237	282
कुशल/ लिपिकीय	282	328
अति कुशल	328	366

अतः, दिनांक 01.10.2025 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

कर्मचारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रति दिन परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें (रुपयों में)	
	भूमि से ऊपर कार्य के लिए	भूमि से नीचे कार्य के लिए
अकुशल	350+191=541	437+237=674
अर्ध-कुशल/ अकुशल पर्यवेक्षक	437+237=674	523+282=805
कुशल/लिपिकीय	523+282=805	610+328=938
अति कुशल	610+328=938	683+366=1049

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मचारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र ए, बी तथा सी सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।



(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 25.09.2025

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 188(ई) के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2024 (आधार वर्ष 2016=100) को 402.09 से 413.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.33 अंकों की बढ़त होने के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया गया है। दिनांक 01.10.2025 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेशी संचार केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, बिजली लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और पेय पाइप लाइनों सहित भवन निर्माण कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें।

कामगारों की श्रेणी	वी .डी.ए.की दरें क्षेत्रवार प्रतिदिन(रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	282	237	191
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक	314	266	222
कुशल/ लिपिकीय	344	314	266
अति कुशल	372	344	314

अतः, दिनांक 01.10.2025 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	वी .डी.ए.सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन (रुपये में)		
	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
अकुशल	523+282=805	437+237=674	350+191=541
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी/	579+314=893	494+266=760	410+222=632
कुशललिपिकीय/	637+344=981	579+314=893	494+266=760
अत्यधिक कुशल	693+372=1065	637+344=981	579+314=893

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मचारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र ए, बी तथा सी सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

फाइल संख्या 1/6(4)/2025 – एलएस-II

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रम आयुक्त (कै.) का कार्यालय
नई दिल्ली

दिनांक: 25.09.2025

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 192(ई) के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2024 (आधार वर्ष 2016=100) को 402.09 से 413.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.33 अंकों की बढ़त होने के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया गया है। दिनांक 01.10.2025 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

गुड्स शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालय, (ii) अन्य गुड्स-शेड, गो-डाउन, गोदाम और अन्य समान रोजगार में लोडिंग और अनलोडिंग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वी.डी.ए. की दरें; (iii) डॉक एवं पोर्ट्स और (iv) हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) पर यात्रियों और माल और कार्गो की ढुलाई में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वी.डी.ए. की दरें।

अतः, दिनांक 01.10.2025 से कर्मचारियों को देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	प्रतिदिन महंगाई की दरें (रु. में)
"क"	282
"ख"	237
"ग"	191

अतः, दिनांक 01.10.2025 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	प्रति दिन परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें (रुपयों में)		
	मूल मजदूरी (रुपए)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (रुपए)	कुल (रुपए)
क	523	+ 282	= 805
ख	437	+ 237	= 674
ग	350	+ 191	= 541

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र ए, बी तथा सी सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
मुख्य श्रमायुक्त (कै.)

सं. 1/6(5)/2025-एलएस II

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 25/09/2025

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 190(ई) के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2024 (आधार वर्ष 2016=100) को 402.09 से 413.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.33 अंकों की बढ़ोतरी होने के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया है। दिनांक 01.10.2025 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निषेध क्रियाकलापों के अलावा झाड़ू लगाने और सफाई करने के नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों हेतु वी.डी.ए. की दरें

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
ए	282
बी	237
सी	191

अतः दिनांक 01.10.2025 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए.				कुल (रुपयों में)
	मूल मजदूरी (रुपयों में)		वी.डी.ए. (रुपयों में)		
ए	523	+	282	=	805
बी	437	+	237	=	674
सी	350	+	191	=	541

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के अंतर्गत कामगारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र ए, बी एवं सी सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

सं. 1/6(6)/2024-एलएस II
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय
नई दिल्ली

दिनांक: 25/09/2025

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 191(ई) के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2024 (आधार वर्ष 2016=100) को 402.09 से 413.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.33 अंकों की बढ़त होने के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया गया है। दिनांक 01.10.2025 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

I. वीडिए की दरें, निगरानी और देखभाल (बिना आर्म्स के) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
ए	344
बी	314
सी	266

अतः दिनांक 01.10.2025 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निगरानी और देखभाल (बिना आर्म्स के) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए.				
	मूल मजदूरी		वी.डी.ए (रुपयों में).		कुल (रुपयों में)
ए	637	+	344	=	981
बी	579	+	314	=	893
सी	494	+	266	=	760

II. वीडिए की दरें, निगरानी और देखभाल (आर्म्स के साथ) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

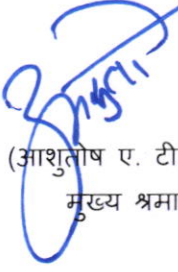
क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
ए	372
बी	344
सी	314

अतः दिनांक 01.10.2025 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निगरानी और देखभाल (आर्म्स के साथ) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए.				
	मूल मजदूरी		वी.डी.ए (रुपयों में).		कुल (रुपयों में)
ए	693	+	372	=	1065
बी	637	+	344	=	981
सी	579	+	314	=	893

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के अंतर्गत कामगारों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग-I में दिए अनुसार होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र ए, बी एवं सी सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।


(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

सं. 1/6(7)/2025-एलएस II

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 25/09/2025

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 189(ई) के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वीडीए) के दिनांक 31.12.2024 (आधार वर्ष 2016=100) को 402.09 से 413.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 11.33 अंकों की बढ़त होने के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एतद्वारा परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया गया है। परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ता दिनांक 01.10.2025 से निम्नानुसार देय होगा:-

“पत्थर खानों” में कार्यरत कर्मचारियों हेतु वी.डी.ए. की दरें निम्नानुसार हैं:-

कार्य विवरण

दिनांक 01.10.2025 से

परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें

- | | |
|--|----------|
| 1. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ
अतिरिक्त भार की खुदाई व निष्कासन | |
| (i) नर्म मिट्टी | रु. 194 |
| (ii) चट्टान सहित नर्म मिट्टी | रु. 287 |
| (iii) चट्टान | रु. 380 |
| 2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ
अस्वीकृत पत्थरों का निष्कासन व ढेर लगाना | रु. 155 |
| 3. निम्नलिखित आकार के पत्थर हेतु
पत्थर तोड़ना या पत्थर पेरार्इ:- | |
| 1.0 इंच से 1.5 इंच तक | रु. 1152 |
| 1.5 इंच के ऊपर से 3.0 इंच तक | रु. 985 |
| 3.0 इंच के ऊपर से 5.0 इंच तक | रु. 581 |
| 5.0 इंच के ऊपर | रु. 479 |

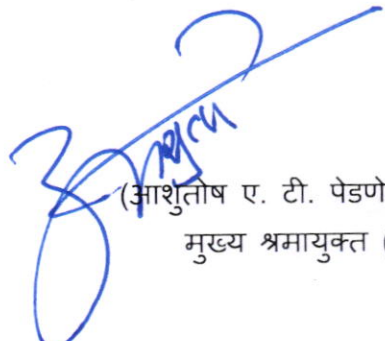
अतः दिनांक 01.10.2025 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें पत्थर खानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

श्रेणी	मूल मजदूरी	वीडीए	कुल
1. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अतिरिक्त भार की खुदाई व निष्कासन			
(i) नर्म मिट्टी	रु. 351	+ रु. 194	= रु. 545
(ii) चट्टान सहित नर्म मिट्टी	रु. 531	+ रु. 287	= रु. 818
(iii) चट्टान	रु. 703	+ रु. 380	= रु. 1083
2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अस्वीकृत पत्थरों का निष्कासन व ढेर लगाना	रु. 283	+ रु. 155	= रु. 438
3. निम्नलिखित आकार के पत्थर हेतु पत्थर तोड़ना या पत्थर पेरार्ड:-	मूल मजदूरी	वीडीए	कुल
(i) 1.0 इंच से 1.5 इंच तक	रु. 2171	+ रु. 1152	= रु. 3323
(ii) 1.5 इंच के ऊपर से 3.0 इंच तक	रु. 1857	+ रु. 985	= रु. 2842
(iii) 3.0 इंच के ऊपर से 5.0 इंच तक	रु. 1088	+ रु. 581	= रु. 1669
(iv) 5.0 इंच के ऊपर	रु. 893	+ रु. 479	= रु. 1372

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम गारंटीकृत समय दर पर कार्यरत कामगार पत्थर खानों में अनुसूचित नियोजन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सतह के ऊपर काम करने वाले कामगारों के अकुशल वर्ग हेतु विशिष्ट भत्ते, यदि कोई है तो, के साथ न्यूनतम मजदूरी के समय दर के हकदार होंगे।

* प्रति 2.831 घन मीटर (100 घन फीट)

** 5.662 घन मीटर प्रति ट्रक भार (200 घन फीट)


(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
मुख्य श्रमायुक्त (कें.)